महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 06–09–2017 का कार्यवृत्त

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 06–09–2017 को अपराह्न 04:00 बजे माननीय कुलपति जी अध्यक्षता में पंत प्रशासनिक भवन स्थित डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति कक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1.	डॉ0 पृथ्वीश नाग, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 उमारानी त्रिपाठी, संकायाध्यक्ष–मानविकी संकाय	सदस्य
3.	प्रो0 नन्दलाल, संकायाध्यक्ष–समाज विज्ञान संकाय	सदस्य
4.	प्रो0 कृपा शंकर जायसवाल, संकायाध्यक्ष–वाणिज्य एवं प्रबन्धशास्त्र संकाय	सदस्य
5.	प्रो0 अरविन्द कुमार पाण्डेय, संकायाध्यक्ष–शिक्षा संकाय	सदस्य
6.	डॉ0 रंजन कुमार (प्रतिनिधि), संकायाध्यक्ष–विधि संकाय	सदस्य
7.	प्रो0 सत्या सिंह, संकायाध्यक्ष–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय	सदस्य
8.	डॉ0 अवधेश सिंह, अध्यक्ष–सम्बद्ध महाविद्यालय, अध्यापक संघ	विशेष आमंत्रित
9.	डॉ0 श्रीरंग नाथ मिश्र, महामंत्री–सम्बद्ध महाविद्यालय, अध्यापक संघ	विशेष आमंत्रित
10.	श्री ओम प्रकाश, कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक	सदस्य–सचिव

विश्वविद्यालय के अधिकारीगण :–

1. श्री व्यास नारायण सिंह, उपकुलसचिव, परीक्षा सामान्य
2. डॉ0 राकेश मिश्र, सहायक कुलसचिव, परीक्षा सामान्य

बैठक में अधोलिखित निर्णय लिए गए :–

कार्य सूची–01	परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 22–06–2017 की कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार।
निर्णय :	**निर्णय संख्या–05क(iv) में बी0ए0 द्वितीय खण्ड भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र के स्थान पर "बी0ए0 प्रथम खण्ड भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र" संशोधित करते हुए तथा निर्णय संख्या–17 में "परीक्षाफल घोषित होने के तीन माह के अन्दर सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षार्थी आनलाइन आवेदन कर अपनी उत्तर पुस्तिका प्राप्त करके स्वमूल्यांकन करने के पश्चात चैलेजिंग मूल्यांकन हेतु निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन कर सकता है" को जोड़ते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।**
कार्य सूची–02	परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 12–07–2017 की कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार।
निर्णय :	**निर्णय संख्या–03 के अनुसार अनुपस्थित परीक्षार्थियों जिनकी उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन केन्द्र पर प्राप्त हुई उनके सम्बन्धित खण्ड का परीक्षाफल निरस्त करने की कार्यवाही का अनुमोदन करते हुए कार्यवृत्त सम्पुष्ट की गई।**
कार्य सूची–03	विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शोध मौखिकी सम्पन्न होने के उपरान्त शोधार्थियों

	को शोध उपाधि प्रदान किये जाने पर विचार।
निर्णय :	**अधोलिखित शोधार्थियों को पी–एच0डी0 उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई :–**

हिन्दी

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री जुनेद खाँ JUNAID KHAN	डॉ0 रमेश चन्द्र	प्रेमचन्द के कथा साहित्य में दलित जीवन की अभिव्यक्ति और समकालीन दलित आलोचक	28–08–2017

संस्कृत

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री शशि सिंह SHASHI SINGH	डॉ0 दीपक कुमार	भवभूति के रुपकों में पर्यावरण चेतना	25–07–2017

इतिहास

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री अमित कुमार सिंह AMIT KUMAR SINGH	प्रो0 लक्ष्मी शंकर उपाध्याय	पुराणों में आश्रम व्यवस्था: एक ऐतिहासिक अध्ययन	29–06–2017

उर्दू

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री खुर्शीद जमाल कासिम KHURSHID JAMAL QUASIM	डॉ0 मो0 इश्तियाक	अल्लामा शिब्ली नोमानी बहैशियत सवानेह निगार	26–07–2017

अर्थशास्त्र

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री शिखा शुक्ला SHIKHA SHUKLA	प्रो0 प्रदीप कुमार	सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास में विदेशी निवेश का प्रभाव(उदारीकरण के पश्चात्)	25–08–2017

राजशास्त्र

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री हरिनारायण सिंह HARINARAYAN SINGH	प्रो0 मो0 आरिफ़	आन्तरिक सुरक्षा की समस्या एवं नक्सलवाद : मिर्जापुर व सोनभद्र जिले के विशेष सन्दर्भ में	12–08–2017
2.	सुश्री रश्मि सिंह RASHMI SINGH	प्रो0 सतीश कुमार	महाभारत की राजनीति–व्यवस्था	30–08–2017

कार्य सूची–04	वार्षिक परीक्षा–2017 में सामूहिक नकल में आरोपित महाविद्यालयों से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचार। (अग्रेतर उल्लेखनीय है कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 22–06–2017 के निर्णय संख्या–05क(1) में निर्णय लिया गया कि सामूहिक नकल में आरोपित महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आगामी परीक्षा समिति में प्रस्तुत

	करने एवं 1 से 5 आरोपित परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में उड़ाका दल की सामूहिक नकल के सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति न होने के कारण उड़ाकादल के संयोजकों से पुनः स्पष्ट संस्तुति प्राप्त करने हेतु पत्राचार करने का निर्णय लिया गया था। सामूहिक नकल में आरोपित महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों एवं उड़ाका दल संयोजक से स्पष्टीकरण/आख्या प्राप्त हो गया है।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति द्वारा उड़ाका दल से प्राप्त आख्या उसके परिप्रेक्ष्य में परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 22–06–2017 के निर्णयानुसार उड़ाका दल से पुनः प्राप्त आख्या पर सम्यक विचारोंपरान्त अधोलिखित निर्णय लिया गया :–** **i.** मुरलीधर उच्च शिक्षा संस्थान, कोईरौना, संत रविदास नगर, भदोही के सम्बन्ध में परीक्षा समिति ने दिनांक 31–03–2017 की बी0ए0 प्रथम हिन्दी द्वितीय प्रश्न पत्र एवं दिनांक 04–05–2017 की बी0ए0 तृतीय शिक्षाशास्त्र प्रथम प्रश्न की उत्तर पुस्तिका का परीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु अधोलिखित सदस्यों की उपसमिति गठित की गई :– 1. प्रो0 उमारानी त्रिपाठी, संकायाध्यक्ष–मानविकी संकाय 2. प्रो0 अरविन्द कुमार पाण्डेय, संकायाध्यक्ष–शिक्षा संकाय परीक्षणोंपरान्त प्राप्त आख्या पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया। (ख.) मुरलीधर उच्च शिक्षा संस्थान, कोईरौना, संत रविदास नगर, भदोही के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र दूसरे महाविद्यालय में था। इसलिए इनका रोका गया परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। **ii.** श्री संकट मोचन महिला महाविद्यालय, दानीपट्टी, भदोही के सम्बन्ध में परीक्षा समिति ने दिनांक 28–03–2017 की परीक्षा में व्याप्त अव्यवस्था को संज्ञान में लेते हुए उक्त महाविद्यालय को आगामी 03 वर्ष के लिए परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के निर्णय के साथ ही इस महाविद्यालय एवं प्रभावित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का रोका गया परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया। **iii.** विवेकानन्द महाविद्यालय, सेमरी, बलिया के सम्बन्ध में उड़ाका दल की आख्या को संज्ञान में लेते हुए परीक्षा केन्द्र पर व्याप्त अव्यवस्था को परीक्षा की सुचिता प्रभावित करने वाला कृत्य मानते हुए रूपये एक लाख का अर्थदण्ड निरूपित करने एवं उक्त महाविद्यालय को आगामी 03 वर्ष के लिए परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के निर्णय के साथ ही इस महाविद्यालय एवं प्रभावित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षाफल घोषित करने का भी निर्णय लिया गया। **iv.** (क) विवेकानन्द गर्ल्स विद्यापीठ, इब्राहिमपट्टी, बलिया के सम्बन्ध में परीक्षा समिति ने दिनांक 08–05–2017 को प्रातः कालीन परीक्षा में उड़ाका दल द्वारा नकल करते हुए पकड़े गये 07 परीक्षार्थियों का सम्बन्धित खण्ड का परीक्षाफल निरस्त करते हुए महाविद्यालय को आगामी 03 वर्ष के लिए परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया तथा इस महाविद्यालय एवं प्रभावित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का रोका गया परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। (ख.) उक्त महाविद्यालय के मानकों का पुनः परीक्षण कर कार्यवाही करने हेतु जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के कुलपति को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया। **v.** मॉ धनेश्वरी देवी महाविद्यालय, कुशहॉ, रसीदपुर, बलिया के सम्बन्ध में उड़ाका दल द्वारा दिनांक 08–05–2017 को प्रातः कालीन परीक्षा में नकल में पकड़े गए 03 छात्रों का सम्बन्धित खण्ड का परीक्षाफल निरस्त करते हुए महाविद्यालय को आगामी 03 वर्ष के लिए परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया तथा इस महाविद्यालय

	एवं प्रभावित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का रोका गया परीक्षाफल घोषित करने का भी निर्णय लिया गया। **vi.(क) जनता महाविद्यालय, नगरा, बलिया को सामूहिक नकल का दोषी मानते हुए दिनांक 22–03–2017 को प्रथम पाली में आयोजित उक्त केन्द्र पर बी0ए0 प्रथम खण्ड उर्दू द्वितीय प्रश्न पत्र के परीक्षार्थियों का सम्बन्धित खण्ड का परीक्षाफल निरस्त करके शेष छात्रों का परीक्षाफल घोषित करने एवं उक्त महाविद्यालय को आगामी 03 वर्ष के लिए परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया।** **(ख.) जनता महाविद्यालय, नगरा, बलिया के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र दूसरे महाविद्यालय में था इस लिए इन छात्रों के भी परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया।**
कार्य सूची–05	परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 22–06–2017 के निर्णय संख्या–04 के निर्णयानुसार बी0पी0एड0 प्रथम सेमेस्टर–2017 की परीक्षा में संदिग्ध उत्तर पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में परीक्षा केन्द्र कोड संख्या–611 देवेन्द्र पी0जी0 कालेज, बेल्थरा रोड, बलिया से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचार।
निर्णय :	**परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन केन्द्र के समन्वयक की आख्या पर सम्यक विचारोंपरान्त परीक्षा केन्द्र–611 देवेन्द्र पी0जी0 कालेज, बेल्थरा रोड, बलिया पर बी0पी0एड0 प्रथम सेमेस्टर सत्र 2016–17 में सम्मिलित महाविद्यालय कोड–612 श्री नरहेजी महाविद्यालय, रसड़ा, बलिया के परीक्षार्थियों का सम्पूर्ण परीक्षाफल निरस्त करते हुए आगामी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के साथ पुनः परीक्षा कराये जाने का निर्णय लिया गया।**
कार्य सूची–06	परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 22–06–2017 के निर्णय संख्या–05क(2) के अनुसार परीक्षा केन्द्र से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचार। (अग्रेतर उल्लेखनीय है कि अनुक्रमांक–64317010083 एवं 64317010084 बी0ए0 प्रथम भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर न होने तथा अन्य परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका के साथ बण्डल में प्राप्त होने को गम्भीरता से लेते हुए परीक्षा समिति ने परीक्षा केन्द्र से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति ने महाविद्यालय को भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न होने के लिए चेतावनी देने एवं सम्बन्धित कक्ष निरीक्षक के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पत्र लिखने एवं परीक्षा केन्द्र से उपस्थिति प्रपत्र (KV-5) प्राप्त कर तद्नुसार उक्त अनुक्रमांको के परीक्षाफल के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु परीक्षा नियंत्रक को अधिकृत किया गया।**
कार्य सूची–07	कु0 आकांक्षा, बी0एस–सी0 (बायो0ग्रुप) ललित कृष्ण वोमेन इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर एजूकेशन इन्दरपुर, बलिया के बी0एस–सी0 अन्तिम वर्ष–2016 की उपाधि निरस्त करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि कु0 आकांक्षा ने आग्रह किया है कि सत्र 2015–16 में मैं बी0एस–सी0, तृतीय वर्ष एवं पॉलीटेक्निक प्रथम वर्ष की परीक्षा एक साथ उत्तीर्ण कर ली है, जिसके कारण मुझे पॉलीटेक्निक की अगली कक्षा में प्रवेश से रोक दिया गया है।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति ने सम्बन्धित छात्रा से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उपाधि निरस्त करने सम्बन्धी कार्यवाही हेतु परीक्षा नियंत्रक को अधिकृत किया।**
कार्य सूची–08	प्राचार्य–सारनाथ बोधिसत्व महाविद्यालय, मुनारी, वाराणसी के बी0ए0 प्रथम खण्ड–2017 के कुछ छात्रों द्वारा प्रवेशित विषय के स्थान पर परीक्षा फार्म में दूसरा विषय भर दिये

	जाने के कारण रोके गये परीक्षाफल को संशोधित कर निर्गत करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि प्राचार्य ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि महाविद्यालय के कुछ छात्रों द्वारा प्रवेशित विषय के स्थान पर परीक्षा फार्म में त्रुटिवश गलत विषय का चयन कर लिया गया है। जबकि छात्रों ने परीक्षा अपने प्रवेशित विषय में ही दिया है। किन्तु परीक्षा फार्म में गलत विषय मुद्रित हो जाने के कारण छात्रों को अनुपस्थित दर्शा दिया गया है। उक्त छात्रों के संशोधन से महाविद्यालय को सम्बन्धित विषय में आवंटित सीट से ज्यादा संख्या नहीं होगी।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति ने इस प्रकार के कृत्य के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय को दोषी मानते हुए महाविद्यालय पर प्रति छात्र रूपये दो हजार का अर्थदण्ड निरूपित करते हुए अंकपत्र संशोधित करने का निर्णय लिया। साथ ही इस प्रकार के समान प्रकरणों में रूपये दो हजार अर्थदण्ड जमा कराकर परीक्षाफल घोषित करने हेतु परीक्षा नियंत्रक को अधिकृत किया गया।**
कार्य सूची–09	श्री अनिल कुमार चौहान बी0ए0 प्रथम खण्ड श्री हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी के समाजशास्त्र के स्थान पर मनोविज्ञान विषय को संशोधित करते हुए परीक्षाफल घोषित करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि श्री अनिल कुमार चौहान बी0ए0 प्रथम खण्ड श्री हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी द्वारा परीक्षा फार्म में समाजशास्त्र विषय चयन कर मनोविज्ञान विषय की परीक्षा में सम्मिलित हो गया।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति ने इस प्रकार के कृत्य के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय को दोषी मानते महाविद्यालय पर प्रति छात्र रूपये दो हजार का अर्थदण्ड निरूपित करते हुए अंकपत्र संशोधित करने का निर्णय लिया।**
कार्य सूची–10	श्री संतोष कुमार गौतम बी0ए0 द्वितीय वर्ष सत्र 2016–17 श्यामतारा महाविद्यालय, वाराणसी के मध्यकालीन इतिहास विषय के स्थान पर इतिहास विषय की परीक्षा बैक परीक्षा के साथ अनुमति देने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि श्री संतोष कुमार गौतम बी0ए0 द्वितीय वर्ष सत्र 2016–17 श्यामतारा महाविद्यालय, वाराणसी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि मैं अपने प्राइवेट परीक्षा फार्म में इतिहास विषय भरा था किन्तु प्रवेश पत्र में मध्यकालीन इतिहास अंकित हो गया जिसकी मैं परीक्षा भी दे दिया। जबकि बी0ए0 प्रथम वर्ष में इतिहास विषय की परीक्षा दिया था। इन्होंने बैक पेपर परीक्षा–2017 के साथ इतिहास विषय की परीक्षा देने का आग्रह किया है।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति ने परीक्षार्थी द्वारा बिना पाठ्यक्रम की पूर्ण जानकारी के गलत विषय का चयन कर लेने पर रूपये दो हजार अर्थदण्ड एवं बैक पेपर का परीक्षा शुल्क जमा कराकर आगामी बैक परीक्षा के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया।**
कार्य सूची–11	कु0 माला मिश्रा बी0ए0 प्रथम वर्ष अनुक्रमांक–53717010011 श्री प्रमोद जी महिला महाविद्यालय, सोनभद्र के शिक्षाशास्त्र के स्थान पर समाजशास्त्र विषय परिवर्तित करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि कु0 माला मिश्रा बी0ए0 प्रथम वर्ष अनुक्रमांक–53717010011 श्री प्रमोद जी महिला महाविद्यालय, सोनभद्र ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि वह समाजशास्त्र के दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी है किन्तु अंक पत्र में शिक्षाशास्त्र विषय अंकित कर मुझे अनुपस्थित दर्शाया गया है।)

निर्णय :	**परीक्षा समिति ने इस प्रकार के कृत्य के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय को दोषी मानते महाविद्यालय पर प्रति छात्र रूपये दो हजार का अर्थदण्ड निरूपित करते हुए अंकपत्र संशोधित करने का निर्णय लिया।**
कार्य सूची–12	श्री रतन लाल सोनकर बी0ए0 तृतीय वर्ष सत्र 2015–16 विश्वविद्यालय परिसर के समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र की छुटी हुई परीक्षा कराये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि श्री रतन लाल सोनकर बी0ए0 तृतीय वर्ष सत्र 2015–16 विश्वविद्यालय परिसर ने वर्ष 2016 बी0ए0 अन्तिम वर्ष समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र में अनुपस्थित हो गए जिसे बैक पेपर–2017 के साथ पूर्ण करने की अनुमति चाहते है।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति ने रूपये दो हजार अर्थदण्ड जमा कराकर इस शर्त के साथ बैक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया कि सम्बन्धित छात्र की बी0ए0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने की समयावधि पाँच वर्ष से अधिक न हो।**
कार्य सूची–13	कु0 प्रीति दुबे एम0ए0 हिन्दी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 2014–15 एवं 2015–16 श्री गिरजा प्रसाद द्विवेदी महाविद्यालय, संतरविदास नगर, भदोही के चारो सेमेस्टर के अंकपत्र में फोटो परिवर्तन करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि कु0 प्रीति दुबे एम0ए0 हिन्दी ने अपने प्रार्थना पत्र में त्रुटिपूर्ण अंकित फोटो को परिवर्तित कर सही फोटो लगाने का आग्रह किया है। प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड एवं नोटरी शपथ पत्र संलग्न है।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति ने चारों सेमेस्टर की परीक्षा में गलत फोटो पर सम्मिलित हो जाने को संदिग्ध मानते हुए कु0 प्रीति दूबे एम0ए0 हिन्दी अनुक्रमांक–31115200025 के प्रथम, द्वितीय सेमेस्टर–2015 एवं तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर–2016 के परीक्षाफल को निरस्त करने का निर्णय लिया।**
कार्य सूची–14	प्राचार्य, मथुरा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रसड़ा, बलिया द्वारा सुश्री पूजा सिंह एवं सुश्री गुन्जा सिंह के बी0ए0 प्रथम एवं द्वितीय खण्ड के अंक पत्र पर गलत फोटो लग जाने को परिवर्तित करने सम्बन्धी पत्र पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि प्राचार्य ने अपने पत्र के साथ उक्त दोनों छात्राओं का शपथ पत्र एवं मूल अंक पत्र संलग्न करते हुए भूलवश परीक्षा आवेदन में लगे गलत फोटो के स्थान पर सही फोटो अंकित करने का आग्रह किया है।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोंपरान्त सुश्री पूजा सिंह पुत्री श्री ओम प्रकाश सिंह तथा सुश्री गुन्जा सिंह पुत्री श्री ओम प्रकाश सिंह की फोटो भूलवश परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय आपस में परिवर्तित हो जाने को मानवीय भूल मानते हुए अंक पत्र हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराके संशोधित अंकपत्र निर्गत करने का निर्णय लिया।**
कार्य सूची–15	सुश्री गुन्जा यादव बी0एस–सी0, द्वितीय खण्ड सुधाकर महिला महाविद्यालय, वाराणसी द्वारा गणित विषय के तृतीय प्रश्न पत्र में सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपनी उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर मूल्यांकन में त्रुटि की शिकायत के परीक्षणोरान्त प्राप्तांक में हुई वृद्धि पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि सुश्री गुन्जा यादव बी0एस–सी0, द्वितीय खण्ड द्वारा गणित तृतीय प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन की शिकायत की गयी थी। शिकायत के निवारण हेतु मा0 कुलपति जी द्वारा गठित समिति के समक्ष परीक्षण

	हेतु उत्तर पुस्तिका प्रस्तुत की गयी। समिति द्वारा विषय विशेषज्ञ से उक्त उत्तर पुस्तिका के परीक्षण कराने की संस्तुति की गयी। तदोपरान्त विषय विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण करके छात्रा को गणित तृतीय प्रश्न पत्र में प्राप्त 12 अंक के स्थान पर 27 अंक प्रदान किया। जिस पर मा0 कुलपति जी द्वारा छात्रा को संशोधित अंकपत्र निर्गत करने तथा प्रकरण को परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति ने कृत कार्यवाही का अनुमोदन करते हुए सम्बन्धित परीक्षक को 03 वर्ष के लिए परीक्षा सम्बन्धी सभी कार्यों से प्रतिबन्धित करने का निर्णय लिया। साथ ही परीक्षा समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि आगे से इस प्रकार का मूल्यांकन चैलेजिंग मूल्यांकन प्रक्रिया के अन्तर्गत कराया जाय। क्योंकि पुर्नमूल्यांकन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।**
कार्य सूची–16	श्री ऋजु मिश्रा एम0ए0 संस्कृत, तृतीय सेमेस्टर अनु0–10016531427 के प्रथम प्रश्न पत्र में सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपनी उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर मूल्यांकन में त्रुटि की शिकायत के परीक्षणोरान्त प्राप्तांक में हुई वृद्धि पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि श्री ऋजु मिश्रा, एम0ए0 संस्कृत, तृतीय सेमेस्टर अनु0–10016531427 के प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन की शिकायत की गयी थी। शिकायत के निवारण हेतु मा0 कुलपति जी द्वारा गठित समिति के समक्ष परीक्षण हेतु उत्तर पुस्तिका प्रस्तुत की गयी। समिति द्वारा विषय विशेषज्ञ से उक्त उत्तर पुस्तिका के परीक्षण कराने की संस्तुति की गयी। तदोपरान्त विषय विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण करके छात्र को संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त 24 अंक के स्थान पर 58 अंक प्रदान किया। जिस पर मा0 कुलपति जी द्वारा छात्र को संशोधित अंकपत्र निर्गत करने तथा प्रकरण को परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति ने कृत कार्यवाही का अनुमोदन करते हुए सम्बन्धित परीक्षक को 03 वर्ष के लिए परीक्षा सम्बन्धी सभी कार्यों से प्रतिबन्धित करने का निर्णय लिया। साथ ही परीक्षा समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि आगे से इस प्रकार का मूल्यांकन चैलेजिंग मूल्यांकन प्रक्रिया के अन्तर्गत कराया जाय। क्योंकि पुर्नमूल्यांकन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।**
कार्य सूची–17	सुश्री सरोजा यादव, सुश्री चंदा देवी, सुश्री ममता देवी एवं श्री चन्द्र प्रकाश के बी0ए0 तृतीय खण्ड की परीक्षा तक अनिवार्य प्रश्न पत्र राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा हेतु एक अवसर प्रदान करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि उक्त परीक्षार्थियों ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि अनिवार्य प्रश्न पत्र की परीक्षा न उत्तीर्ण कर पाने के कारण हम लोगों का बी0ए0 तृतीय खण्ड का परीक्षाफल अवरूद्ध है।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति ने इस प्रकार के छात्रों को बी0ए0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए बैक परीक्षा के साथ अनिवार्य विषय के प्रश्न पत्र में सम्मिलित होने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान किया कि सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की अवधि पाँच वर्ष से अधिक न हो।**
कार्य सूची–18	सुश्री ज्योति यादव पी0जी0 डिप्लोमा इन वालेन्टरी एक्शन एण्ड एन0जी0ओ0 मैनेजमेण्ट सत्र 2014–15 के बैक परीक्षा कराये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 22–06–2017 के निर्णय संख्या–20 में इनके प्रार्थना पत्र पर विचार कर पुनः सम्पूर्ण परीक्षा देने हेतु अवसर प्रदान किया गया। किन्तु इस छात्रा द्वारा यह आग्रह करने पर की पाठ्यक्रम बन्द होने के कारण मुझे आज तक बैक परीक्षा का अवसर प्रदान नहीं किया गया, पर पुनः विचार करने हेतु मा0 कुलपति जी द्वारा प्रकरण परीक्षा समिति को सन्दर्भित

	किया।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति द्वारा पी0जी0 डिप्लोमा इन वालेन्टरी एक्शन एण्ड एन0जी0ओ0 मैनेजमेण्ट पाठ्यक्रम बन्द होने के कारण सुश्री ज्योति यादव का मात्र अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र की परीक्षा कराने का निर्णय लिया।**
कार्य सूची–19	सुश्री रंजना चौधरी शोध छात्रा ललित कला विभाग के कोर्स वर्क परीक्षा कराये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि सुश्री रंजना चौधरी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि मैं सत्र 2012–13 की शोध छात्रा हूँ, कोर्स वर्क परीक्षा–2013 में अनुत्तीण हो गयी। किन्तु कई बार आग्रह के बाद भी आज तक पुनः कोर्स वर्क की परीक्षा नहीं करायी गयी।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति द्वारा सुश्री रंजना चौधरी शोध छात्रा ललित कला विभाग के प्रार्थना पत्र को सम्यक विचारोंपरान्त अस्वीकार कर दिया गया।**
कार्य सूची–20	मूल्यांकन केन्द्रों पर कर्मचारियों की ड्यूटी में रोटेशन पद्धति एवं स्थायी–अस्थायी कर्मचारियों का अनुपात निर्धारित करने सम्बन्धी संयुक्त हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेत्तर उल्लेखनीय है कि कुछ कर्मचारियों द्वारा यह शिकायत की गयी है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अध्यापकों की ड्यूटी पर रोटेशन प्रक्रिया लागू है, किन्तु कर्मचारियों में कुछ चुनिन्दा कर्मचारियों की ड्यूटी बार–बार लगायी जाती है। कर्मचारियों ने स्थायी एवं संविदा कर्मियों की ड्यूटी में भी अनुपात निर्धारित करने का आग्रह किया है।)
निर्णय :	**परीक्षा समिति ने अध्यापक/कर्मचारियों की ड्यूटी मूल्यांकन केन्द्र पर लगाने हेतु एक समिति गठित कर मानक निर्धारित करने हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया।**
कार्य सूची–21	समन्वयक–केन्द्रीय मूल्यांकन द्वारा बन्द लिफाफे में प्रेषित एम0एस–सी0–गणित, प्रश्न पत्र कोड–17/1893 की बिना अनुक्रमांक एवं पंजीकरण संख्या के प्राप्त उत्तर पुस्तिका पर विचार।
निर्णय :	**परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र से उक्त उत्तर पुस्तिका के सम्बन्ध स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।**
अध्यक्ष की अनुमति से –	
प्रस्ताव–22	समस्त पाठ्यक्रमों एक समान अनुग्रहांक प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।
निर्णय :	**परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोंपरान्त सत्र 2017–18 की परीक्षाओं से ऐसे सभी पाठ्यक्रमों में जिसमें मान्यता प्रदान करने वाले किसी प्राधिकरण द्वारा भारांक प्रदान करने सम्बन्धी कोई नीति निर्धारित हो अथवा प्रतिबन्धित हो, को छोड़कर शेष सभी पाठ्यक्रमों के अन्तिम वर्ष अथवा अन्तिम सेमेस्टर में किसी एक प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने अथवा श्रेणी (Division) में अधिकतम 03 अंक अनुग्रहांक प्रदान करने का निर्णय लिया। किन्तु श्रेणी सुधार अथवा बैक परीक्षा में सम्मिलित होने के पश्चात प्रदान किया गया अनुग्रहांक घटा (Minus) दिया जायेगा।**
प्रस्ताव–23	सुश्री स्वाति राय बी0ए0 द्वितीय वर्ष विक्रम सिंह कन्या महाविद्यालय, चन्दौली एवं कुछ अन्य की परीक्षा में उपस्थित होने के पश्चात भी अनुपस्थित दर्शाये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार।

निर्णय :	**परीक्षा समिति द्वारा सुश्री स्वाति राय एवं इस प्रकार के कुछ अन्य प्रकरण जिसमें उपस्थित रहने के पश्चात भी उत्तर पुस्तिका प्राप्त नहीं हो पा रही है ऐसे प्रकरणों में मूल उपस्थित प्रपत्र (KV-5) एवं (KV-4) का विधिवत परीक्षण कर औसत अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया।**
प्रस्ताव–24	श्री हर्ष कुमार सोनकर बी0एस–सी0 प्रथम खण्ड एवं अन्य के संयुक्त हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र पर विचार।
निर्णय :	**परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त बी0एस–सी0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय खण्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का 'Randomly Checked' कराने के कुलपति जी के आदेश का अनुमोदन करते हुए संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय को इस हेतु अधिकृत किया। पुर्नमूल्यांकन का नियम न होने के कारण मूल्यांकन से असंतुष्ट छात्रों को चैलेजिंग मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही करने का निर्णय लिया।**
प्रस्ताव–25	डॉ0 शशिकान्त द्विवेदी उदय प्रताप महाविद्यालय, वाराणसी के प्रार्थना पत्र पर विचार।
निर्णय :	**परीक्षा समिति ने डॉ0 शशिकान्त द्विवेदी के प्राश्निक होते हुए उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन न कराये जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र को संज्ञान में लेते हुए यह निर्णय लिया कि मूल्यांकन हेतु सर्वप्रथम प्राश्निक को आमंत्रित किया जाय। इनके समय से उपस्थित न होने पर ही दूसरे परीक्षक से मूल्यांकन कराया जाय।**
प्रस्ताव–26	सुश्री प्रीति मद्धेशिया बी0ए0 तृतीय वर्ष स्वामी शरण महाविद्यालय, चन्दौली के प्रार्थना पत्र पर विचार।
निर्णय :	**परीक्षा समिति ने सुश्री प्रीति मद्धेशिया के प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय यह ज्ञात हुआ कि इनका बी0ए0 प्रथम खण्ड में पंजीकरण वर्ष–2011 में है। बी0ए0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने में पाँच वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के कारण सुश्री मद्धेशिया के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।**

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई।

ह0 — **कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक**

ह0 — **कुलपति**

पत्रांक : प0गो0/14199/परीक्षा समिति/2017   दिनांक : 09 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. माननीय कुलपति जी।
2. परीक्षा समिति के सम्मानित सदस्यगण।
3. वित्त अधिकारी।
4. कुलसचिव।
5. उप कुलसचिव–अनुचित साधन प्रकोष्ठ।
6. सहायक कुलसचिव–परीक्षा सामान्य।
7. अधीक्षक–परीक्षा गोपनीय/समिति अनुभाग/सम्बद्धता विभाग।
8. प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आशय से कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपरोक्त कार्यवृत्त को सम्बन्धित व्यक्ति एवं जन साधारण के सूचनार्थ अपलोड कर दें।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

ह0

कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक